

22-3-2021

प्रागवली पेश हुई। प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। पेशेकार
सर्वकार उपस्थित। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र
तकनीलदार, शिद्योमी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05/10/2020
के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण
विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने हेतु धारा 5 भारतीय
सिधार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अपीलार्थी
द्वारा प्रार्थना पत्र में उक्त नश्वे को शर्तित 22वें उक्त
प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
अपील प्रस्तुत करने में उक्त विलम्ब की अवधि को कन्डोन
किया जाता है। निर्णय अनुच्छेद 2 का प्रागवली पेशक
शुमार होकर नंबर से कम है।

24/3/2021

सात. विवा. उपाय
विरोधी (सद.)

